श्री जार्ज फरनेन्डीज : मंत्री महोदय जो कुछ कह रहे हैं, उस पर बहुत बहस हो सकती है।

श्री प्र० चं० सेठी : हो सकती होगी।

Please allow me to say this. As far as the other jewellery is concerned, that was not donated and that is the position which has been clarified. Day in and day out all these questions are raised.

I would only like to say that the problem is there, certainly smuggling is there. It is difficult to say anything at this stage because in regard to such measures which are of socio-economic nature and where the traditions are centuries old, it is difficult to move in a short span of time. We will have to go into that aspect more carefully. The point has also been raised by the hon. members whether Government will go into that aspect again. The House and Government, as I have said during the First Reading also, are always competent to go into the entire aspect of the working of the Gold Control Act. At the present moment I am not in a position to commit myself to any assurance. I would only say that we will try our best to improve upon the situation both on the front of smuggling and also on the front of giving all possible facilities to the trade and the goldsmiths who are concerned.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

17.38 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

(Shri Prakash Vir Shastri [*in the Chair*]

Disciplinary action against P & T employees

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : सभापति महोदय, एक साल पहले केन्द्रीय कर्मचारियों द्वारा जो एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का एलान हुआ था, इस आध घन्टे की बहस का विषय उससे सम्बन्ध रखता है। मैं इस समय उस बात में नहीं जाऊंगा कि कर्मचारियों को किस कारण वह सांकेतिक हड़ताल करनी पड़ी थी। जैसा कि सब को ज्ञात है, उनकी एक मांग थी कि उन्हें जिन्दा रहने के लिए एक निम्नतम वेतन दिया जाये और उस मांग के औचित्य पर कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं। उस वक्त सरकार ने न तो वे मांगें स्वीकार की और न ही वह किसी तर्कपूर्ण समझौते के लिये तैयार हुई। उसने केवल दमन-चक्र का रास्ता अपनाया जिस का नतीजा हम लोग जानते हैं।

डाक-तार विभाग में 19 तारीख को हड़ताल होने वाली थी। सरकार एक दिन की हड़ताल से सन्तुष्ट नहीं हुई। उसने दो दिन पहले ही दिल्ली दमन-चक्र चालू किया, जिस का नतीजा यह हुआ कि एक दिन की हड़ताल तीन दिन की हड़ताल बन गई और उस की सोलहों आने जिम्मेदारी सरकार पर है। डाक-तार कर्मचारियों के राष्ट्रीय महासंघ ने केवल एक दिन की हड़ताल का एलान किया था और वह हड़ताल 19 तारीख को होनी थी। लेकिन सरकार के दमन और बहुत से कर्मचारियों की गिरफ़तारी के कारण वह हड़ताल तीन दिन—17, 18 और 19 तारीख की हो गई।

19 को जो हुआ उसको हम सभी जानते है। सभी केन्द्रीय कर्मचारियों के ऊपर जो दमन हुआ, कितनी गिरफ्तारियां हुई, 14 की जान गई, 14 कर्मचारी गोली से मारे गये। उस के बाद यह घटनायें हुई जिन का मैं थोड़ा जिक्र करना चाहता हूं। जब इतना राष्ट्रव्यापी दमन हुआ 14 की हत्या हुई, बहुत से लोगों को नौकरी से बरखास्त किया गया, इस सब के चलते जो देश में विरोध हुआ, उसके बाद में सरकार ने भी महसूस किया और कुछ नरमी का रुख अख्त्यार करने का प्रयास किया। जो मेरे प्रश्न का जवाब दिया गया है उस में बताया गया है कि 760 अभी भी हैं जिनको काम पर नहीं लिया गया। तो 18 अक्तूबर को पिछले साल केन्द्रीय सरकार की ओर से कुछ जो गल-

तियां की गई थी, अत्यन्त ही कठोर दमन किया गया था उसमें ढिलाई बरतने का एलान हुआ और डाक तार कर्मचारियों के राष्ट्रीय महासंघ ने उसका स्वागत करते हुए आश्वासन दिया था कि हम अब दमन के खिलाफ जो कुछ लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे विरोध करने के लिए उन कार्यवाहियों को बन्द कर देंगे और सभी कर्मचारी काम पर जायेंगे। और सभी कर्मचारी काम पर गए भी। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, यह 18 अक्तूबर का आश्वासन है, इस में कहा गया था :

> "In taking these decisions, the Government has acted in the hope and clear understanding that indiscipline and disregard of duty in any form in evidence in certain offices, will cease forthwith. The further working and implementation of the arrangements decided upon by the Government to-day will depend upon the fulfilment of this expectation."

तो डाक तार कर्मचारियों के महासंघ ने इसका पूरा स्वागत किया और अपनी सभी शाखाओं को आदेश भी दे दिया कि पूरी तरह से अनुशासित रूप में वह काम पर जायं और काम करें। इस से पहले 18 अक्तूबर के पहले कही पर विरोध में सभाएं हुई थीं, तार उनके पास आये थे, प्रस्ताव हुए थे, कहीं प्रदर्शन भी हुए थे। उसके बाद भी, अभी जो स्थिति है, मैं चाहूँगा कि उस बात का जिक्र में कर दूं और इसलिए यह जिक्र करना जरूरी है कि मालूम पड रहा है कि गृह विभाग के आदेश के खिलाफ, सरकार की घोषित नीति के खिलाफ, डाक तार विभाग सरकार का चल रहा है। यह सभी जानते हैं और मैं दोहराना नहीं चाहता कि जो केन्द्रीय सरकार ने और उस के गृह विभाग ने सक्रिय भड़काव को, ऐक्टिव इंस्टिगेशन को छोड़ कर बाकी सभी को काम पर ले लेने का निर्णय लिया, डाक तार विभाग की ओर से जो उस के सर्वेसर्वा जैन साहब हैं, पता नहीं शायद वह जाने वाले हैं, मुक्ति मिलने वाली है उनको और इसलिए उनको ममता भी नहीं है, न इस विभाग के लिए, न कर्मचारियों के लिए और न शांति पूर्वक काम चल सके, इसके लिए, जो भी वजह हो, इनका अपना आदेश ऐसा हुआ कि जो सरकार की नीति से मेल नहीं खाता। मुझे शक है और जो दमन अभी भी है वह उसका सबूत है कि गृह विभाग के आदेश के मुताबिक नहीं, भारत सरकार की घोषित नीति के मुताबिक नहीं बल्कि जैन साहब के उसी आदेश के मुताबिक अभी भी काम चल रहा है :

> "In taking disciplinary action it is our intention to be selective and to take action only against these who are responsible for active instigation or organising the strike or picketing in connection with the strike."

यह एक गम्भीर बात है। जब भारत सरकार ने यह तय कर लिया कि ऐक्टिव इंस्टिगेशन के लिए ही किसी के ऊपर कार्यवाही की जाय तब भी वह कह रहे हैं कि :

> "If there is no direct evidence of active instigation, etc., there need be no hesitation in taking disciplinary action merely on the charge of participation in the strike. When disciplinary action is taken, normally it should be deterrent and should result in a major penalty."

तो यह एक तानाशाह का आदेश है। यह गवर्नमेंट के ऊपर की गवर्नमेंट सरकार के ऊपर की सरकार का आदेश है। इसलिए ऐसा आदेश मैं जानना चाहूँगा, मंत्री महोदय मौजूद हैं, यह अभी भी रद्द हुआ या नहीं हुआ ? शुक्ल जी भी मौजूद हैं। मै जानना चाहूँगा, कि यह आदेश जैन साहब का अभी भी लागू है या नहीं ? जो मार्च महीने में एलान किया गया था, भारत सरकार की घोषित नीति के मुताबिक यह आदेश नहीं है। मैं चाहूँगा और आशा करता हूं कि वह यह एलान करेंगे कि जैन साहब का यह आदेश कि अगर ऐक्टिव इंस्टिगेशन का सबूत न मिले तो सिर्फ हड़ताल में शामिल होने के लिए ही दमन करें और भी ऐसा करें कि जो काफी कठोर हो और बेरहमी के साथ हो, यह आदेश आज भी या नहीं है मैं

[श्री भोगेन्द्र झा]

कहता हूँ कि इसके मुताबिक अभी भी कार्यवाही हो रही है। अभी मेरे पास एक तार आया है बंगलौर का जिसमें यह कहा है कि दस दिन पहले 6 व्यक्तियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया।

6 कर्मचारियों को नौकरी से बरखास्त किया गया—इसलिए कि उन्होंने 19 सितम्बर की हड़ताल में हिस्सा लिया था। उन पर एक्टिव इंस्टीगेशन का इल्जाम नहीं है, हिंसा का इल्जाम नहीं है, सिर्फ 19 सितम्बर की सांकेतिक हड़ताल में शामिल होने का इल्जाम है और उनको अभी हाल में जुलाई, 1969 के अन्त में बरखास्त किया गया। यह हाल की सबसे ताजी घटना है।

इन 760 आदमियों में से 300 से ऊपर तो सिर्फ केरल के हैं। अगर यह फिगर गलत है तो आपसे सुधार लूंगा, क्योंकि आंकड़े तो आपसे ही लेने होंगे। लेकिन क्या इसका कारण यह है कि वहां पर जैन साहब की मर्जी नहीं चली, केरल सरकार ने गोलिया नहीं चलाई, जो 14 आदमी गोलियों से मारे गये, उनमें केरल का हिस्सा नहीं था, क्या इसलिये वह बदला ले रहे हैं। सारे मुल्क की संख्या 760 है, जिसमें से 300 केरल के हैं क्या मन्त्री महोदय मेरी इस संख्या को सुधार सकेंगे...

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : यह संख्या बहुत कम हो गई है, बाद में आपको बता दूंगा।

श्री भोगेन्द्र झा : केरल के इन 300 आदमियों में ऐसे लोग हैं, जिनके नौकरी से हटाये जाने की बात को केरल हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था, अवैध करार दे दिया था, लेकिन आज तक वे लोग नौकरी में नहीं लिये गये और डाक तार विभाग के अफसरान का यह कथन है कि हाई कोर्ट का आदेश अलग रहेगा और नौकरी में लेना या न लेना हमारा काम है। क्या इस अवज्ञा को सरकार रद्द करने के लिए तैयार नहीं है? जब केरल के सरकारी कर्मचारियों में शान्ति रही, वहां पर तोड़-फोड़ की कार्यवाही नहीं हुई, जो मुकदमें वहां पर चलाये गये, उनको केरल सरकार ने उठा लिया—यह ठीक है कि बाद में हाई कोर्ट ने यह फैसला लिया कि उन मुकदमों को उठाना गलत था, डाकतार विभाग उस मुकदमें में मुदई था और हाई कोर्ट ने बिलकुल टैकनीकल ग्राउण्ड पर फैसला लिया क्या सरकार उन मुकदमों को फिर से उठाना चाहती है—मैं चाहता हूँ कि मन्त्री महोदय, इसके बारे में यहां पर साफ-साफ एलान करें कि उन मुकदमों की पुनरावृत्ति नहीं की जायगी, इसमें काफी सरकारी खर्चा होगा और उन लोगों के लिये परेशानी पैदा होगी, पैसा लगेगा।

इसी तरह से मद्रास मेल सर्विस में एक दिन की भूख हड़ताल पर जाने के लिए, जो कि गोली काण्ड के खिलाफ लोगों ने की थी, वहां की मेल सर्विस और सोर्टिंग के स्टाफ को बरखास्त कर दिया गया। सलेम में केवल जुलूस में हिस्सा लेने के अपराध में नौकरी से बरखास्त किया गया। इसी तरह से दिल्ली में डिप्टी कमिश्नर की राय ली गई थी। डिप्टी कमिश्नर ने जांच के बाद 30 कर्मचारियों को पूरी तरह से बरी कर दिया लेकिन उनको अभी तक काम पर नहीं लिया गया है। चूंकि केरल के बाद देश में दिल्ली ही ऐसी दूसरी जगह है, जहां बहुत ज्यादा दमन हुआ है—इन सब परिस्थितियों के बावजूद सत्य नारायण बाबू अभी हाल में पटना गये थे, वहां पर इन्होने एक बयान दिया जिससे लोगों को आश्वासन मिला कि दमन का जो भी तरीका था, उसमें परिवर्तन होगा, लेकिन उसके बाद भी बंगलौर की घटना हुई। बिहार में अभी भी 12 आदमी नौकरी से बाहर पड़े हुए हैं। सदन क्या समझे-क्या मन्त्री महोदय का आदेश नहीं चलता है, इनके बयान को गलत साबित करने के लिए डाक तार विभाग के अफसरान तुले हुए हैं?

इसी तरह की एक मजबूरी की बात और आपके सामने कहना चाहता हूँ। इन कर्मचारियों का जो महासंघ है, फेडरेशन है, वह चर्चा करना चाहता है, लेकिन जेन साहब कहते हैं—चूंकि फेडरेशन की मान्यता छिन गई है, इसलिये चर्चा नहीं करेंगे। मान्यता छिन गई है तो कर्मचारी तो नहीं मिट गये हैं, वे मौजूद हैं. उन्होंने चोरी नही की थी, डाका नहीं डाला था, घूस नहीं ली थी, जिसमें अफसरों का हिस्सा ज्यादा शामिल रहता है, उन्होंने मेहनत की कीमत मांगी थी—इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता। एक और बात भी है हमारे डाक तार विभाग के मन्त्री बाबू सत्य नारायण सिंह के दफ्तर में उनके जो पी० ए० हैं—दूबे जी—वे डाक तार विभाग के कर्मचारी हैं और उनकी नौकरी, तरक्की, सारी चीजें जैन साहब पर निर्भर करती हैं।

इसलिए मन्त्री महोदय को वे ठीक खबर नहीं दे सकते, सही जानकारी नहीं दे सकते।

सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह): किसी व्यक्ति के बारे में जब तक खास सबूत न हो, इस तरह का इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। यह उचित नहीं है।

श्री भोगेन्द्र झा : मैंने इलजाम नहीं लगाया है।

SHRI NAMBIAR (Tiruchirappalli): You are misinformed. That is our presumption. If you are well informed, let us know.

श्री भोगेन्द्र झा : अगर मेरी यह खबर गलत है कि पी० ए०, श्रीदूबे डाक तार विभाग के हैं और उनकी नौकरी और सेवा की शर्तें जैन साहब के हाथ में हैं, तो मैं अपनी गलती की सुधार लूंगा, अपनी कही हुई बात को वापिस ले लूंगा।

तो ऐसी स्थिति में, आज जो हालत है मैं सरकार से मांग करूंगा कि जो भी पुराना दमन हुआ उसका अन्त करें। जो एक्टिव इंस्टीगेशन की परिभाषा दी गई थी उसको बाद में बदलने की कोशिश की गई है लेकिन मेरा कहना है कि इस तरह से आप बैठे न रहें अगर आप 60 को काम से बाहर रखते हैं, नये-नये लोगों को बरखास्त करेंगे तो फिर कर्मचारी ही नहीं, हर व्यक्ति का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह उसका विरोध करें। इसलिए मैं कहूँगा कि आप इसका अन्त कीजिये। मैं आशा करता हूँ कि इसका अन्त हो जायगा और उनकी जो मांगें चल रही हैं उनको पूरा करने का रास्ता सरकार अपनायेगी और उसका यहां पर एलान किया जायेगा। इसी आशा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : सभापति महोदय, अभी भोगेन्द्र झा साहब ने, जो प्रश्न 24 जुलाई को पूछा था और उसका जो उत्तर दिया गया, उसी को आधार बनाकर कुछ बातें कहीं गई हैं। 24 जुलाई को जो उत्तर उनको दिया गया था उसमें हमने संख्या दी थी उन लोगों की जो कि री-इन्सटेट नहीं हुए थे--उनकी कुल संख्या उस समय 760 थी। लेकिन इस दौरान में 163 व्यक्तियों को हम री-इंस्टेट कर चुके हैं, केसेज रेव्यू हो चुके हैं।...(व्यवधान)...

श्री भोगेन्द्र झा : उस जबाब के बाद ?

श्री (शेर सिंह) : जी हां ...व्यवधान)...

AN HON. MEMBER : How many from Kerala ?

SHRI NAMBIAR : How many for violence and how many for instigation Because if somebody speaks in favour of strike, that is also instigation. So, let us know that.

श्री शेर सिंह : वह आपको दे रहा हूँ। अब 597 रह गए है।...(व्यवधान)...50 केसेज को हम रेव्यू कर रहे हैं। लेकिन कुछ

[श्री शेर सिंह]

केसेज जो ऐसे हैं जिनमें एक्टिव इंस्टीगेशन, वायलेन्स के चार्जेज हैं उनके बारे में हमारे हाथ बंधे हुए हैं। ...(व्यवधान)...जिन कर्मचारियों ने हड़ताल के दौरान हिंसात्मक कार्यवाहियां कीं, इंस्टीगेशन किया, उकसाया, झगड़ा किया, तो यह निर्णय हुआ कि उनको छोड़कर बाकी सभी को नौकरी पर वापिस लेना है। ऐसे जो केसेज हैं...(व्यवधान)...

सभापति महोदय : पहले आप मंत्री महोदय को सुन लीजिए।

श्री शेर सिंह : उन केसेज के बारे में गृह मन्त्रालय की तरफ से परिभाषा हो गई है और यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कौन सी चीज को इंटिमिडेशन, इंस्टीगेशन माना जायेगा। उसकी परिभाषा हो चुकी है—उसीको सामने रखकर केसेज को रेव्यू कर रहे हैं। जिस मामले में मालूम होता है कि इसमें इंस्टीगेशन नहीं है, कोई वायलेन्स नहीं है, इन्टीमिडेशन नहीं है, उसमें रेव्यू करके री-इंस्टेट कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

सभापति महोदय : इसके बाद मैं आपको फिर प्रश्न की अनुमति दूंगा। एक बार मन्त्री जी का उत्तर सुन लीजिये।

श्री शेर सिंह : मैं इनको जवाब नहीं दे सकता। एक बात माननीय भोगेन्द्र झा जी ने कही, वह पुराना आदेश था डायरेक्टर जनरल का उसका हवाला देते हुए उन्होंने कही। 13 नवम्बर, 1968 का आदेश था कि जिन्होंने स्ट्राइक में हिस्सा लिया उनके ऊपर वह कार्यवाही करेंगे, चाहे इंस्टीगेशन, इंटीमिडेशन की न हो। लेकिन वह हुक्म पुराना है। उसके बाद नये हुकम आ चुके हैं। पुराना आदेश खतम हो चुका 18 अप्रैल, 1969 को। और जो गृह मन्त्रालय की तरफ से आदेश आये उन्हीं के ऊपर अमल किया गया। जिस केस में इंटिमिडेशन या इंस्टीगेश की बात नही थी उन सब केसेज पर विचार करके छोड़ा गया।

अभी कुछ स्टेट्स के बारे में पूछा गया कि केरल में इस समय कितनी संख्या है उन लोगों की जिनको रीइन्स्टेट नहीं किया। उनकी संख्या केरल में इस समय तक 281 है जिनको री-इन्स्टेट नही किया। कुल मिलाकर 597 है, केरल अकेले में 281 हैं।

एक बात श्री झा ने कही कि केरल की सरकार ने कुछ मुकदमे वापस ले लिये और उसके बाद भी सरकार कुछ केसेज को कनटेस्ट कर रही है। उसका कारण यह है कि हर केस कनटेस्ट नहीं कर रहे हैं। जिस केस के बारे में यह मालूम हुआ कि इसमें कोई ऐवीडेंस नहीं है वह खत्म हो जाय तो ठीक है। लेकिन जिस केस में ऐवीडेंस अवेलऐबिल है और उसके बाद भी अगर वापस ले लें किसी कारण से तो यह ठीक नहीं है। कानून को अपने रास्ते पर चलने देना चाहिए।

SHRI NAMBIAR : Why is it not withdrawn in Kerala ? You went in appeal.

श्री शेर सिंह : केरल में कोई अलग से बात नही हुई है। इसी तरह से पंजाब के अन्दर भी हुआ। । वहां भी जहां ऐवीडेंस अवेलएबिल नहीं थी वे केसेज खत्म हो गये। लेकिन जिनमें ऐवीडेंस अवेलएबिल थी उनको कंटेस्ट कर रहे हैं।

THE MINISTER OF INFORMATION, BROADCASTING AND COMMUNICATIONS (SHRI SATYA NARAYAN SINHA) : There were a large number of cases which were withdrawn.

SHRI NAMBIAR : Why do you go to the High Court ?

SHRI SHER SINGH : I have already replied. We have gone only in those cases in which there was positive evidence ; the cases in which there was no evidence available against the employees were withdrawn. We have not gone in appeal against them in those cases.

श्री योगेन्द्र शर्मा : अभी दफा 4 को हटा कर के दफा 5 लगा दी गयी है। अभी भी मुकदमे चल रहे हैं।

श्री शेर सिंह : ऐसी कोई बात नहीं है। आप केस बताइये तो देखेंगे।

SHRI NAMBIAR : He has read the confidential circular; he can reply to that.

SHRI SHER SINGH : I have already answered that. That order has been cancelled on the 18th April.

SHRI NAMBIAR : So, all those people will come back to duty now ? Barring a few dozens, everybody will come back.

SHRI SHER SINGH : Yes. Only against those, against whom there are charges of instigation or intimidation, action will be taken; not against others.

श्री भोगेन्द्र झा : मैंने जो कहा है कि बंगलौर के ६ आदमियों को अभी निकाला गया है उन पर क्या कोई हिंसा का चार्ज है ?

श्री सत्य नारायण सिंह : कुछ केसेज जहां हमको पूरी ऐवीडेंस मिली है वहां पर तो कोर्ट में गये हैं चाहे वह इन्टिमिडेशन का हो, वायलेंस का हो या ऐक्टिव इंस्टीगेशन का हो। लेकिन जिसमें सफिशियेंट ऐवीडेंस नहीं था वहां कोर्ट में नहीं गये। उन केसेज में चार्ज शीट दी गयी और चार्ज शीट दे कर कहा गया कि वह जवाब दें। तीन महीने के अन्दर हमने बता दिया है कि ऐसे केसेज को डिस्पोज आफ किया जाय, और उन सब केसेज को हम जनरली ट्रीट करने को तैयार हैं। लेकिन जवाब तो आवे। लोग जवाब नहीं दे रहे हैं ?

श्री जार्ज फरनेन्डीज : (बम्बई दक्षिण) : कौन जवाब नहीं दे रहे हैं ?

श्री सत्य नारायण सिंह : जिसके ऊपर चार्जशीट है।

SHRI NAMBIAR : Charge-sheets are issued by your officers disregarding the circular. It is vindictiveness which prevails.

SHRI SATYA NARAYAN SINHA : I will give you the figures which are very telling.

कुल 29720 लोग थे। यह जवाब में आ चुका है। आज उनकी पोजीशन क्या है। आज उन 29720 में से केवल 597 हैं।

18.00 hrs.

एक माननीय सदस्य : बहुत कम रहे हैं।

SHRI NAMBIAR : That is clear vindictiveness, victimisation.

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : और भी माननीय सदस्यों ने नाम दिये हैं। उनको भी प्रश्न पूछने का अवसर मिलना चाहिये।

सभापति महोदय : जो भी नाम मेरे पास हैं उनको अवसर देंगे। आवश्यकता यह है कि मन्त्री महोदय और प्रश्नकर्ता एक दूसरे को सम्बोधित न करें और आपस में वार्ता का आदान-प्रदान न करें।

श्री सत्य नारायण सिंह : जैसा मैंने बतलाया, डिपार्टमेंटल ऐक्शन 205 आदमियों के खिलाफ चल रहा है। इसके बारे में

I have issued clear instructions that within three monhts all these cases should be disposed of. I have been making enquiries about it very regularly. If there is delay it is due to these people who have been charge-sheeted not submitting their explanations. After their explantions are received, we will consider their cases. We are not going to be vindictive; I must assure you and you must take my assurance. After all, they are our employees and we want their goodwill more than you need.

SHRI NAMBIAR : Then take them. That is what we want. You ask them to come to duty.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : जबरदस्ती उनको रिटायरमेंट के नोटिस दिये जा रहे हैं।

श्री सत्य नारायण सिंह : श्री भोगेन्द्र झा ने पटना के बारे में कहा क्योंकि पटना उनके दिमाग में बहुत होगा। आप को मालूम है कि वहां पर 6 आदमियों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन केसेज चल रहे हैं और चार आदमियों के खिलाफ डिसिप्लिनरी ऐक्शन हो रहा हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : 13।

श्री सत्य नारायण सिंह : मैं आज की बात कह रहा हूं। वहां पर 6 प्रोसिक्यूशन केसेज (**व्यवधान**) वह तो चलेंगे ही। **दे मस्ट टेक देयर ओन कोर्स**। कोर्ट केसेज हम विथड्रा नहीं करेंगे। लेकिन जो चार केसेज डिसिप्लिनरी ऐक्शन वाले हैं उनको जो नोटिस दिये गये हैं उनमें जल्दी की जा सकती है। लेकिन नम्बर घट कर 4 हो गया। यह आप को सोचना चाहिये। उनके बारे में मैं कहता हूं कि जल्दी से जल्दी निपटारा किया जायेगा, उनकी चार्ज-शीट आ जाये...

SHRI NAMBIAR : You are doing so good in Patna. Why not you do it in Kerala also ?

SHRI SATYA NARAYAN SINHA : We are not prejudiced against Kerala or West Bengal in spite of the fact that the kind of gheraos and things you are doing in Kerala and Bengal—you must be aware of all those things—they are not happening in any other State.

SHRI NAMBIAR : That is politics. Why do you mix politics with this ? Why do you make the poor workers suffer for that ?

SHRI SATYA NARAYAN SINHA : I would like to read out to the House the kind of information which we are receiving every day from these two States.

SHRI NAMBIAR : They are all exaggerated.

SHRI SATYA NARAYAN SINHA : My hon. friend, Shri Nambiar, knows in his heart of hearts what is happening there. Why is it that in those two States such things are happening which are not happening in other States ? I ask you this question.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : तेलंगाना में क्या हुआ ?

SHRI P. GOPALAN (Tellicherry) : Why were you defeated in Bengal ?

SHRI A. SREEDHARAN : They are not there by your courtesy. They are the popularly elected governments...(*Interruption*)

श्री जार्ज फरनेन्डीज : तेलंगाना में क्या हो रहा है, हरियाणा में क्या हो रहा है, बम्बई में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है ?

SHRI SATYA NARAYAN SINHA : I do not say about the politics in those two States. All that I say is that other strikers in other States are not behaving the way the strikers, who have not been re-instated, are behaving in Kerala and Bengal...... (*Interruption*)

SHRI NAMBIAR : They are giving political colour to it.

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) दिल्ली में वैसे ही पकड़ लिया था इन्होंने। कर्मचारियों ने कुछ नहीं किया।

श्री सत्य नारायण सिंह : दिल्ली में 61 केसेज अभी प्रासीक्यूशन में है और 28 केसेज डिसिप्लीनरी ऐक्शन के हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : जो कुछ और जगहों पर हुआ, वह दिल्ली में नहीं हुआ। लोग अन्दर बैठे थे। एक अफसर उनके खिलाफ था। उसके कारण इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। उनके बारे में कुछ करिये।

श्री सत्य नारायण सिंह : जहां तक स्ट्राइकर्ज के साथ रियायत हो सकती है, मैं करने की कोशिश कर रहा है और मैं करने के लिए तैयार हूं। लेकिन कोर्ट केसिस में हम दखल देने वाले नहीं हैं। कुछ स्टेट्स में उन्होंने केसिस को विदड्रा कर लिया। जहां हमने देखा कि हमारे पास एवीडेंस नहीं है, वहां हमने विदड्राल के खिलाफ अपील नहीं की। लेकिन जहां देखा

कि एवीडेंस काफी मौजूद हैं और फिर भी विदड्रा हुए हैं, वहां हमने अपील की।

That apart, so far as cases that are pending before the courts are concerned, we are not going to interfere. So far as disciplinary action is concerned, I give you the full assurance that we are going to consider the explanations that they give as sympathetically as possible.

श्री शिव चन्द्र झा : बहुत सी बातें सामने आ गई हैं। इसलिए मैं सवाल ही पूछना चाहता हूं। इन्होंने बताया है कि 760 लोग थे जिनमें से कुछ काम पर वापिस ले लिये गये हैं। मैं बिहार के बारे में आम तौर पर और दरभंगा जिले के बारे में तथा मधुबनी के बारे में खासतौर पर सवाल पूछना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग बहाल कर दिये गये हैं और कितनी अभी बहाल नहीं किये गये हैं।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस हड़ताल में जो लोग मारे गये थे क्या उनके परिवार वालों को सरकार ने कोई मुआवजा दिया है और यदि दिया है तो कितना और नहीं दिया है तो क्यों नहीं दिया है ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आपने जिन यूनियंज का डीरिकगनिशन किया है उनको फिर से आपने रिकगनाइज कर लिया है या नहीं और अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं ?

श्री जार्ज फरनेन्डीज : आज सुबह इस सदन में श्री भगत ने जूट कर्मचारियों के हड़ताल के सिलसिले में जो फैसला कराया है, उसके बारे में निवेदन दिया था और उनकी तारीफ भी हुई थी। ढाई लाख कर्मचारियों की चार दिन की हड़ताल के कारण सरकार के कथन के अनुसार, मालिकों के कथन के अनुसार चार करोड़ रुपये का नुक्सान हुआ। इसमें यूनियन के डिरिकगनिशन की बात भी नहीं हुई। किसी कर्मचारी पर मुकदमा भी नहीं चलाया गया और न ही कोई और आक्षेप लगाया गया। इस हड़ताल को खत्म कराने के लिए आपके मन्त्रि मंडल के एक सदस्य ने पहल की और इस को बड़ी अच्छी तरह से सुलझाया। इस वास्ते आज उनकी तारीफ हुई।

इस परिस्थिति में मैं आपके सामने इस चीज को रखना चाहता हूं कि 19 सितम्बर को जो सांकेतिक हड़ताल हुई थी उसमें चार करोड़ का नुक्सान जो बंगाल में हुआ है, वह भी नहीं हुआ था। उस हड़ताल में अगर कोई नुक्सान हुआ, तो वह कर्मचारियों का हुआ, क्योंकि सरकार ने उन्हें उस दिन की तनख्वाह नहीं दी। उनमें से कई व्यक्ति जान से मारे गये। क्या वजह है कि सरकार अभी भी इस मसले को हल करने के लिए तैयार नहीं है ? पिछले कुछ दिनों से सरकार में और सरकार के बाहर, और विशेषकर प्रधान मन्त्री की ओर से, सरकार को एक नई दिशा देने वाली बात कही जा रही है उनकी ओर से कहा जा रहा है कि गरीबों और अमीरों की टक्कर में मैं गरीबों के साथ हूं। मन्त्री महोदय ने जिन 597 मुकदमों का जिक्र किया है, उन से जो लोग सम्बन्धित हैं, वे सभी गरीब लोग हैं—इतने गरीब कि उनके घरों में आज चूल्हा नहीं जल सकता है। आज उनमें भुखमरी इतने बड़े पैमाने पर है कि वे और उन के परिवार के लोग मर रहे हैं।

परसों मैं भागलपुर में था। वहां पी० एंड टी० के एक कर्मचारी पर मुकदमा चलाया गया। अदालत ने यह कह कर उसको छोड़ दिया कि वह बिल्कुल निर्दोष है। उसके कई महीनों बाद उसको नौकरी पर लिया गया, लेकिन उसको नौ महीने की तनख्वाह अभी तक उसको नहीं दी गई है। वह रोज निवेदन कर रहा है। उसने मंत्री महोदय के पास भी अपना निवेदन भेजा है, लेकिन मन्त्री महोदय शायद ऐसे निवेदनों को जैन साहब के पास भेज देते हैं, जो उनको तकिये के नीचे या और कहीं डाल देते हैं और मामला खत्म हो जाता है।

चूंकि गृह मन्त्री भी सदन में बैठे हैं, इस लिये क्या मन्त्री महोदय इस समय यह घोषणा

[श्री जार्ज फरनेन्डीज]

करेंगे कि निकाले हुए सब कर्मचारियों को काम पर ले लिया जायेगा, कर्मचारियों पर जो मुकदमे चल रहे हैं, उन्हें वापस ले लिया जायेगा, कर्मचारियों के जिन संगठनों की मान्यता को समाप्त कर दिया गया है, उन्हें सरकार की ओर से मान्यता दे दी जायेगी और उन कर्मचारियों की, जो गरीब है, जिनके पक्ष में खड़े होने का प्रधान मन्त्री दावा करती है, परेशानी को दूर करने के लिए कोई ठोस कार्यवाही की जायेगी या इस बारे में मन्त्रि-मंडल में तत्काल कोई निर्णय किया जायेगा।

SHRI P. GOPALAN : I have only a few words to place to show the worst type of discrimination that this Government is showing against the Central Government employees in Kerala. It has already been pointed out that out of 600 employees kept out of service, about 230 employees are from Kerala. That itself is a clear indication that the employees in Kerala have been discriminated against.

According to the so-called leniency order, it was clearly stated by the Goverment as well as the P & T Board that no disciplinary action will be taken against the employees for mere participation in September 19 strike. Innumerable cases are there in Kerala where employees have been charged under sections 4 and 5 of the Essential Services Maintenance Ordinance, that is, for mere participation in the strike and these employees have not been taken back in service even after the so-called leniency order issued by the Government. This is a clear case of sheer discrimination shown against employees in Kerala.

Secondly, I wish to points out that according to the order, even those employees against whom court cases are pending or are charged under sections 4 and 5 of the Essential Services Maintenance Ordinance or under Section 188 of the I.P.C. are eligible to receive the benefit of the order, in case the Government finds that they have not indulged in any sort of violent activity or sabotage activity. But in Kerala, numerous cases are there where employees have been charged under Sections 4 and 5 of the Essential Services Maintenance Order or Section 188 of the I.P.C. and these employees have not been taken back in service even though no court cases are pending against them, no charge-sheets have been filed against them. These employees have not been taken back.

Another worst type of discrimination is this. Nowhere in the country, except in Kerala, employees who are proceeded against under rule 16 of the Central Government Service Conduct Rules are suspended from service. Nowhere in India, except in Kerala, it is being done. You show me a single instance to this effect anywhere else.

This is the worst type of rank discrimination shown against the employees in Kerala. I wish to say that this is more political than as a disciplinary action. This Government is showing its true political colours; this Government it showing political vindictiveness. Therefore, I wish to ask the hon. Minister, in view of the strained relations between the postal authorities and the employees in Kerala, especially the Post Master General who is the chief villain in the whole drama... (*Interruptions*) whether this Government is prepared to send him... (*Interruptions*)

SHRI NAMBIAR : Such people are unfit to be continued.

SHRI P. GOPALAN : I wish to know whether Government is prepared to pack him up and send him out somewhere else.

SHRI GEORGE FERNANDES : Send him to Telengana.

SHRI NAMBIAR : Such officers should be sent out. We cannot allow our employees to be victimised like this.

श्री शेर सिंह : सभापति जी, जो प्रश्न उठाए गए......

श्री रामावतार शास्त्री : अभी तीन की नौकरी खत्म कर दी गई है बिहार में, उसके बारे में भी बताएं।

श्री शेर सिंह : उनमें से बहुत से प्रश्नों के उत्तर तो पहले ही दिए जा चुके हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : जो मैंने पहले प्रश्न उठाए थे खास-खास उन पर मन्त्री महोदय नहीं बोल सके हैं। जैसे दिल्ली में 30 को डिप्टी कमिश्नर निर्दोष करार दे दिया, उनको काम पर नहीं लिया गया। केरल में हाई कोर्ट ने जिनको काम पर जाने का आदेश दिया उनको नहीं लिया गया, बंगलौर में 6 को अभी बरखास्त किया गया है। इनका उत्तर नहीं दिया।

श्री शेर सिंह : अगर प्रदेश कितना बड़ा है उसके हिसाब से लोगों पर आरोप लगाने लगें और सजा देने लगें तब तो शायद उत्तर प्रदेश में बहुत से निर्दोष लोगों को सजा मिल जाय। इसलिए इसमें किसी प्रदेश का कितना बड़ा आकार है उससे इस बात का फैसला नहीं कर सकते कि कितने लोग दोषी हैं या कितने लोगों को दण्ड मिला हैं। दण्ड उन्हीं को मिला है जो कानून को तोड़ते हैं। केरल में ज्यादा लोगों ने कानून तोड़े। इसलिए उनको ज्यादा दण्ड दिया गया। उनमें से बहुत से केसेज को रिव्यू कर रहे हैं, कुछ किए भी है। कुछ केसेज के अन्दर जहां पता लगा कि उनका इतना दोष नहीं है इंटीमिडेशन वगैरह के आरोप सत्य सिद्ध नहीं हो सके उनको री-इंस्टेट किया है। अब तो बहुत थोड़े रह गए हैं। और उनमें से भी जैसा मैंने कहा अभी पचास केसेज को और रिव्यू कर रहे हैं। अगर उनमें ऐसा पता लगा कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उनके कोई प्रमाण नहीं हैं तो उनको भी वापस कर लेंगे। तो हर एक केस पर हम विचार कर रहे हैं...(व्यवधान)...

जहां तक श्री फरनेन्डीज ने कहा वह एक बहुत बड़ी नीति का प्रश्न है जिसका केवल यही विभाग फैसला नहीं कर सकता।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : सिन्हा साहब को बताइए। उनका बड़ा असर है मंत्रिमंडल में।

श्री शेर सिंह : आप इस मुहकमे से तो यही बात पूछ सकते हैं कि जो निर्णय हुआ उस पर हमने ठीक से अमल किया या नहीं, यह मैं कह चुका हूं कि जो निर्णय हुआ उसके ऊपर अमल हुआ और उसके ऊपर अमल हुआ इसीलिए कई हजार आदमी जो इसमें फंसे हुए थे बहुत से लोग जिनके ऊपर लगाये गये आरोप सिद्ध न हो सके, उनको छूट दी गई, उनको दोबारा सर्विस में ले लिया गया। जैसा मन्त्री महोदय ने कहा, हम बड़ी सहानूभूति से...

श्री भोगेन्द्र झा : आगे क्या करेंगे ?

श्री शेर सिंह : बड़ी सहानूभूति से सभी केसेज पर विचार कर रहे हैं। जैसा अभी कहा गया है कि तीन महीने के अन्दर वे लोग, जिन पर आरोप दिये गये हैं, उत्तर दे दें, इसको लम्बा खींचने की कोशिश न करें तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सरकार सहानूभूति के साथ फैसला करना चाहती है, न्याय करना चाहती है, कानून का जहां भी सहारा मिलेगा, उसका लाभ गरीबों को देना चाहती है, कानून में जहां भी रास्ता मिलेगा सहायता देने का, हम जरूर देंगे। लेकिन जहां कानून में गुंजाइश नहीं मिलती, वहां हम कानून की मुखालिफत नहीं कर सकते। यह हमारे बस की बात नहीं है।...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN : The House stands adjourned till 11 A. M. tomorrow.

18.21 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, August 12, 1969/Sravana 21, 1891 (Saka).

Printed at Akashdeep Printers 20, Daryaganj, Delhi-6.